

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 100/2021 राजस्व वाद

दियाराम पुत्र श्री लालूराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रलायता तहसील करेड़ा जिला

भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन

—अधिवक्ता वादी

2. परोकार सरकार

—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक- 07.02.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 126/2 मे से 01 एक बीघा एवं आराजी नम्बर 28 अठाईस मे से रकबा 01 बीघा भूमि आवंटन की गयी। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित भूमि के बाद आवंटन आराजी नम्बर 288/126 दौ सौ अठ्यासी/एक सौ छब्बीस रकबा 01 एक बीघा एवं आराजी नम्बर 303/28 तीन सौ तीन/अठाईस रकबा 01 बीघा भूमि कायम हुए है व वादी उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की गयी व राजस्व नक्शे मे भी तरमीम की गयी। दिनांक 04 चार अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस एवं 12 बारह अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस को पटवार हल्का द्वारा भी नकल उक्त नम्बर की जारी की गयी। दिनांक 01 जुलाई 2021 को लोगो द्वारा वादी के नाम पर ऑनलाईन रेकार्ड मे वादी के नाम पर भूमि दर्ज नही होने व भूमि ऑन लाईन बिलानाम दर्ज होने से बेदखल करने की धमकी दी गयी। इस पर वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की गयी तो वादी को जानकारी मे आया कि आराजी नम्बर 126/2 मे से वादी को 01 बीघा भूमि आवंटन हुई, जो कि वादी के नाम पर नवीन बटा आराजी नम्बर 288/126 दौ सौ अठ्यासी/एक सौ छब्बीस रकबा 01 एक बीघा के रूप मे दर्ज हुई व आराजी नम्बर 28 वादी को 01 बीघा भूमि आवंटन हुई, जिसके नवीन बटा नम्बर 303/28 तीन तीन/अठाईस रकबा 01 बीघा के रूप मे दर्ज हुई राजस्व नक्शे मे तरमीम हुई, लेकिन राजस्व

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से नवीन बटा नम्बर से नवीन नम्बर कायम नही कर मूल आराजी नम्बर 126/2 के नवीन आराजी नम्बर 213 दौ सौ तैरह, 214 दौ सौ चौदह, 215 दौ सौ पन्द्रह, 216 दौ सौ सौलह, 217 दो सौ सत्रह, 218 दो सौ अठारह, 220 दो सौ बीस, 221 दो सौ इक्कीस, 222 दौ सौ बाईस, 223 दौ सौ तैबीस कायम कर व मूल आराजी नम्बर 28 अठाईस के नवीन आराजी नम्बर 30,33, 35,37,38,39,40 कायम किये गये बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये। जबकि वादी की खातेदारी हक अधिकार की भूमि भी बिलानाम दर्ज हो गयी है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना मौके व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये गये, उक्त कार्यवाही की है। सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 288/126 दौ सौ अट्यासी/एक सौ छब्बीस रकबा 01 एक बीघा भूमि को सेटलेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मूल नम्बर के नवीन आराजी नम्बर 213 दौ सौ तैरह, 214 दौ सौ चौदह, 215 दौ सौ पन्द्रह, 216 दौ सौ सौलह, 217 दो सौ सत्रह, 218 दो सौ अठारह, 220 दो सौ बीस, 221 दो सौ इक्कीस, 222 दौ सौ बाईस, 223 दौ सौ तैबीस कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी, आराजी नम्बर 303/28 रकबा 01 बीघा भूमि को मूल नम्बर 28 मी के नवीन आराजी नम्बर 30,33, 35,37,38,39,40 कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी, वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती करा, उक्त बिलानाम भूमि मे से अपनी 01-01 बीघा भूमि यानि कुल 02 बीघा के नवीन नम्बरान 1-1 बीघा के अलग अलग कायम करा, पूर्ववत तरमीम व आंवटन कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे तरमीम कराने व दोनो मूल नम्बरो के नवीन नम्बरो मे से 1-1 यानि 02 दो बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित कराया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया व मौका रिपोर्ट पेश की गयी।

मामले मे निम्न विवादक कायम किये गये :-

1 कि आया वादी को आवंटित सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे विवादित आराजियात को गलत रूप से बिलानाम आराजी मे दर्ज की है, जिसे वादी राजस्व रेकार्ड मे अपनी भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है?

—बजिम्मे वादी

2 आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ?

— बजिम्मे प्रतिवादी

3 अनुतोष—

प्रकरण मे वादी की ओर से अपने पूर्व मे आवंटित भूमि की जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस व वर्तमान जमाबंदी की नकल दस्तावेजात पेश किये गये, वादी की साक्ष्य स्वरूप वादी का शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य PW1, PW2 से वादी को भूमि आवंटित होना व प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 आराजी न. 288/126, प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 आराजी न.

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

303/28, प्रदर्श-3 साबिक राजस्व नक्शा, प्रदर्श-4 मिलान खसरा, प्रदर्श-5 नवीन राजस्व नक्शा, जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 खाता सं. 1 प्रदर्श-6 से वादी को भूमि आवंटित होकर खातेदारी होना सिद्ध होता है, PW1, PW2 से वादी को आवंटन होना एवं खातेदारी दर्ज होना, एवं कब्जा होना सिद्ध होता है, व परोकार सरकार के जवाब व प्रदर्शित दस्तावेज मौका पर्चा 1/7 लगायत 3/7, साबिक नक्शा 4/7 तथा 6/7 व नवीन नक्शा 5/7 व 7/7, से भूमि बिलानाम दर्ज होना तथा वादी के नम्बरान का नवीन नम्बर दर्ज नहीं होना साबित है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष में सिद्ध होने से विवाद्यक संख्या 02 भी वादी के पक्ष में सिद्ध माने जाते हैं।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी की भूमि को वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी को सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 126/2 में से 01 एक बीघा व आराजी नम्बर 28 में से 01 बीघा भूमि आवंटन की जाना व भूमि के बाद आवंटन आराजी नम्बर 288/126 रकबा 01 बीघा एवं आराजी नम्बर 303/28 रकबा 01 बीघा कायम होना व बाद में उक्त भूमि सेटलेन्ट के दौरान साबिक मूल नम्बर 126/2 के नवीन आराजी नम्बर 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223 एवं साबिक मूल नम्बर 28 के नवीन आराजी नं. 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40 कायम करते हुए उसमें मिलाकर वादी की भूमि खसरा नं. 288/126 व 303/28 को बिलानाम दर्ज करना साबित होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में साबिक मूल आराजी नं. 126/2 के नवीन आराजी नम्बर 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223 एवं साबिक मूल आराजी नं. 28 के नवीन आराजी नं. 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40 में से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 288/126 रकबा 1 बीघा एवं 303/28 रकबा 1 बीघा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शों संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 33 रकबा 9.07 हैक्ट. में से 0.2161 तथा आ.न. 219 रकबा 1.15 हैक्ट. में से रकबा 0.21 हैक्ट. कित्ता 2 रकबा 0.4322 हैक्ट. कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व आराजी नम्बर 33 व 219 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत् सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड (महोपासि) पदेन

सहायक आसुर, एसर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 100/2021 राजस्व वाद

दियाराम पुत्र श्री लालूराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07.02.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक मूल आराजी नं. 126/2 के नवीन आराजी नम्बर 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223 एव साबिक मूल आराजी नं. 28 के नवीन आराजी नं. 30, 33, 35,37,38, 39,40 मे से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 288/ 126 रकबा 1 बीघा एवं 303/28 रकबा 1 बीघा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शों संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 33 रकबा 9.07 हैक्ट. में से 0.2161 तथा आ.न. 219 रकबा 1. 15 हैक्ट. मे से रकबा 0.21 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.4322 हैक्ट. कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व आराजी नम्बर 33 व 219 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे।

इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना- अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन

सहायक उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी पदेन

सहायक उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

करेड़ा जिला भीलवाड़ा